न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 68/2017/225 आर टी ए

1. जस्सूराम पुत्र बस्तीराम बडा जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. मुखराम पुत्र बस्तीराम बडा जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. सुरजाराम पुत्र बस्तीराम बडा जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. इमीचन्द पुत्र बस्तीराम बडा जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. लाधूराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भानीराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेंटस

3. बीरबल पि0मु0 रामलाल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.01.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी रावतसर
प्र0सं0 56/2016 बअनवानी लाधूराम आदि बनाम बीरबल आदि

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

निर्णय दिनांकः–17.01.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के आवेदन पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 को कोई नोटिस नही दिया। पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक

05.09.2016 को प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश करने का आदेश दिया गया है एवं आईदा पेशी 21.10.16 को पत्रावली को रास्ता अभियान के तहत मौका निरीक्षण हेतु मौका पर पेश करने का आदेश है परन्तु मौका निरीक्षण हेतु कोई पेशी अंकित नही की गई है और ना ही नोटिस दिऐ जाने का आदेश है एवं दिनांक 16.01.17 को मौका देखे जाने का हवाला एवं उभय पक्षकारान को सुने जाने का हवाला आदेशिका मे अंकित करते हुए अपीलाधील आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांट को तलब ही नही किया गया और ना ही उन्हे किसी प्रकार की विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नही थी। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय से जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उससे खसरा नं. 331/3 व खसरा नं. 330 के दो टुकड़े हो जाते है। इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ जाब्ता दीवानी के प्रावधानो के विपरीत एक खातेदार काश्तकार की भूमि मे से बिना सुने रास्ता स्वीकृत किया है जो न्यायिक सि़द्धांतो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता होने पर रास्ता स्वीकृत बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अभियान के रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस को भी नोटिस की तामील करवाई गई नोटिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर भी अंकित है। रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत रास्ता अति आवश्यकता है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज चित्रप्रति ईंतकाल संख्या 1164, चित्रप्रति रसीद संख्या 54 राशि 12809/—रू रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि

रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश कर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 की खातेदारी भूमि भूमि मे से खसरा नं. 331/3 मे करीब दो बीघा दक्षिण दिशा चौडाई 1 बिस्वा मे तथा खसरा नं. 328 मे करीब 1.10 बीघा मे तिरछा पूर्वी दिशा मे चौडाई 1 बिस्वा व खसरा नं. 330 मे करीब 2 बीघा दक्षिण दिशा मे एक बिस्वा मे रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त रास्ता जो अपीलांट की खातेदारी भूमि मे स्वीकृत किया गया, जिसमे अपीलांट की तामील नही करवाई गई जिसके कारण अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत रास्ता अपीलांट को बिना सुने एवं बिना तलबी करवाये स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार की बिना तामील करवाये एवं बिना सुने पारित आदेश की पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का 2 माह मे निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.02.2018 को उपस्थित हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ